

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>लक्ष्मण सिंह खनाज DSO (I) जोधपुर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील आदेशा 22 राजस्व एवं आय आकषण विभाग रुडि. 1976</p>	<p>नम्बर अपील हुक्म में</p>
<p>05 $\frac{02}{25}$</p>	<p>DSo से प्राप्त रिपोर्ट (रिपोर्ट दिनांक 18/9/24) को शामिल पत्रावली किया जाय। पत्रावली वाले आदेश दिनांक 05/09/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलेक्टर, जोधपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। आधी अधिवक्ता उपस्थित प्रकरण में जिला ससद अधिकारी (प्रथम) जोधपुर 24/11/25 को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। DSo (I) जोधपुर से प्राप्त उक्त रिपोर्ट में बतलाया गया कि उचित मूल्य दुकान में ससद लक्ष्मण सिंह पोस कोड 19406 जोधपुर को अनियमितताओं हेतु अधिकार पत्र आदेशांक 70 दिनांक 24/2/24 द्वारा अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया गया था, को आदेशा दिनांक 30/12/24 द्वारा अधिकार पत्र बहाल किया गया।</p> <p>चूंकि आधी/अपीलाधी का अपील/अपील आदेश दिनांक 24/2/24 द्वारा जारी अधिकार पत्र का निरन्धन DSo (I) जोधपुर द्वारा आदेशा दिनांक 30/12/24 को बहाल/कल किया गया था। इस कारण अपील/अपील अवधी होने से अपील की जाती है। आदेशा (प्रथम) आदेशा की प्रति सम्बन्धित को प्रेषित है।</p> <p style="text-align: center;">जिला कलेक्टर, जोधपुर (राज.)</p>	<p>10 25</p>